TWO RUPEES TWO RUPEES TWO RUPEES

(116)

ईस्टाम्प 393-PBR/15

प्र. कमांक– /2014
प्रस्तुत दिनॉक 19/20/2015

न्यायालय–माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.) वृत्त इन्दौर के समक्ष

मांगीलाल पिता अवध नारायण कायस्थ
आयु–५८ वर्ष, धंधा–कृषि,
निवासी– ग्राम बिड़वाल तहसील बदनावर
जिला धार (म.प्र.) ....आवेदक/प्रार्थी

विरूद्ध

श्री सुभाष पटेल अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 19-2-15 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत।
19-2-15
20-2-15

जगदीश पिता नंदराम जाति सिर्वी
आयु–वयस्क, व्यवसाय–खेती
निवासी–ग्राम बिडवाल तहसील बदनावर
जिला धार (म.प्र.) ....अनावेदक/प्रतिप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 33(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

सदर प्रकरण में आवेदक/प्रार्थी की ओर से निवेदन हैं कि :–

1. यह कि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक/प्रार्थी के द्वारा निगरानी याचिका माननीय अधीनस्थ न्यायालय, राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2 कानवन तहसील जिला धार के आदेश पर कार्यालय कलेक्टर, भू–अभिलेख, शाखा धार जिला धार के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण कमांक–3/अ–12/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2014 के परिपालन में अधीक्षक, भू–अभिलेख, शाखा जिला धार के द्वारा दिनांक 13.06.2014 को किए गए असत्य, आलोच्यपूर्ण सीमाकंन से व्यथित होकर पेश की गई थी जिसका निगरानी प्रकरण कमांक /2014 (मांगीलाल वि. जगदीश) का होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व पेशी दिनांक को सुनवाई हेतु नियत होकर उक्त दिनांक को आवेदक/प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में सदर निगरानी याचिका निरस्त की गई हैं।

भंवरीलाल / जगदीश

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Restn./3913/PBR/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.8.2017	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। प्रकरण क्रमांक भी आज तक नहीं बतलाया गया है, किस प्रकरण में किस दिनांक को अदम पैरवी में निरस्ती का आदेश पारित हुआ है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	